रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54] नई दिल्ली, बुधवार, मई 2, 1984/वैशाख 12, 1906
No. 54] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 2, 1984/VAISAKHA 12, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मई, 1984

आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रक

सार्वजनिक नोटिस सं. 13-ई.टी.सी.(पी.एन.)/84

विषय :—1-1-1984 से 31-12-1984 तक अमेरीका, यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, आस्ट्रिया, फिनलैंड, कनाडा और स्वीडन को पोशाकों एवं बुने हुए वस्त्रों का खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन निर्यात के लिए योजना ।

मिसिल सं. 2/67/83-ई-1.—उपर्युक्त विषय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 41-ई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 14 सितम्बर, 1983 की कंडिका 4(1) की ओर ध्यान दिलाया जाता है देखें सार्वजनिक सूचना सं. 8-ई.टी.सी.(पी.एन.)/84, दिनांक 7 मार्च, 1984 ।

2. अब यह निश्चय किया गया है कि भूतकालीन निष्पादन हकदारी के उपयोग के लिए वर्ष को दो अवधियों में बांटा जाएगा । प्रथम अवधि कलैन्डर वर्ष के प्र[illegible] पांच माह तक होगी और दूसरी अवधि 1 जून, 1984 से 15 अक्तूबर, 1984 तक हो[illegible] आधार अवधि निष्पादन के आधार पर मूल रूप से गणना की गई भूतकालीन नि[illegible] हकदारी का न्यूनतम 50 प्रतिशत पहले पांच महीनों में अर्थात् 31 मई, 1984 तक उपयोग में लाया जाना चाहिए ।

3. सार्वजनिक सूचना सं. 8-ईटीसी(पीएन)/84, दिनांक 7 मार्च, 1984 की कंडिका 2 में दर्शाई गई सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी ।

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 2nd May, 1984

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 13-ETC(PN)|84

Subject :—Scheme for export under OGL-3 of Garments and Knitwear to USA, EEC Member States, Austria, Finland, Canada and Sweden from 1-1-84 to 31-12-84.

File No. 2|57|83-EI.—Attention is invited to para 4(i) of the Public Notice No. 41-ETC(PN)|83 dated the 14th September, 1983, on the subject mentioned above as amended vide Public Notice No. 8-ETC(PN)|84 dated 7th March, 1984.

2. It has now been decided that for purpose of utilisation of past performance entitlement, the year will be divided into two periods. The first period would over the first 5 months of the Calendar year and the second period from 1st June, 1984 to 15th October, 1984. The minimum of 50 per cent of past performance entitlement as originally calculated on the basis of the base period performance should be utilised in the first 5 months i.e. upto 31st May, 1984.

3. All other terms and conditions mentioned in para 2 of Public Notice No. 8-ETC(PN)|84 dated 7th March, 1984, shall remain unchanged.

Sd|-

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984